

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2024 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 1)

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

पटलित दिनांक: 01-07-2024

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
20	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1556) दि. 15-02-2024 (डॉ. हिरालाल अलावा, जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक: 01/07/2024 को पटलित अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर(खण्ड-1)	राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं में रेत खनन म.प्र. रेत नियम 2019 एवं म.प्र. पेसा नियम 2022 में किये गये प्रावधानों के बाद भी विधिवत अनुमति एवं सहमति प्राप्त किये बिना वर्ष 2023 में नीलामी करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हां।		
21	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.338) दि. 15-02-2024 (श्री अभय कुमार मिश्रा, जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक: 01/07/2024 को पटलित अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर(खण्ड-1)	विधान सभा क्षेत्र रीवा की जिला पंचायत अंतर्गत वर्ष 2021 से 2023 के स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण न कराये जाने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
22	अतारांकित प्रश्न सं.96 (प्रश्न क्रं.1839) दि. 15-02-2024 (श्रीमती प्रियंका पेंची, जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक: 01/07/2024 को पटलित अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर(खण्ड-1)	चाचौड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत चाचौड़ा की पंचायत में हुए फर्जीवाड़े की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।		